

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

हुक्म तारीख
नंबर व
तारीख

राजस्व विविध सं. 111/2014 नोपाराम बनाम: वगताराम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 12.05.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र दुजाना में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद-विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत मामले में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते हैं।

अतः प्रश्नगत मामले में वर्णित सरहद मौजा दुजाना तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1554 रकबा 1.18 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली रा.वा.112/2014 के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारान को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प- अटल सेवा केन्द्र दुजाना में बरोज आज दिनांक 12.05.2017 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 112/2014 के साथ नत्थी हो।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली